राज्य सभा सचिवालय
(प्रशिक्षण प्रकोष्ठ)

संसदीय सौध
नई दिल्ली

सं. आर. एस. 19(5)/2018-प्रशिक्षण

दिनांक 11 जून 2019

परिपत्र

विषय: वर्ष 2019 के लिए हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा चलाये जाने वाले जुलाई-नवम्बर 2019 सत्र की हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

यह निर्णय लिया गया हे कि राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, द्वारा आयोजित हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवम पारंगत (दीर्घकालिक) के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों का प्रयोजन कार्यालय के दैनिक कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम, सप्ताह में पांच दिन पूर्वाहन 10:00 बजे से प्रारम्भ होगा। हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत के लिए परीक्षार्थियों के लिए योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार है:-

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि एवं परीक्षा	पात्रता
1	प्रबोध	5 महीने एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (01 जुलाई, 2019 से नवंबर, 2019 तक)	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, मिज़ो और अंग्रेजी भाषा-भाषी अधिकारी/ कर्मचारी, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं हे, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र है।
2	प्रवीण	5 महीने एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (01 जुलाई, 2019 से नवंबर, 2019 तक)	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/ कर्मचारी, जिन्हें मिडिल / माध्यमिक स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं हैं, सीधे प्रवेश ले सकते है।